

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/गा.से.(ग्राविअ)/स्था.पद/2019/2735 जयपुर,दिनांक 14.08.19

आदेश

श्री भागीरथ आचार्य, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत नापासर, पंचायत समिति बीकानेर जिला बीकानेर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं 13 (1)सपठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण संख्या 6/14 में आरोपी होने के संबंध में प्रसंज्ञान लिये जाने पर तत्काल प्रभाव से पंचायती राज विभाग (मुख्यालय) राज0, जयपुर में आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाता है ।

आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में श्री आचार्य के वेतन भत्तों का भुगतान यथावत पंचायत समिति बीकानेर से आहरित होंगे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज0, जयपुर ।
3. मुख्य/ अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर ।
4. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराये जाने बाबत ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बीकानेर ।
6. श्री भागीरथ आचार्य, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत नापासर, पं0स0, बीकानेर जिला बीकानेर ।
7. आदेश पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त